

बहराइच जनपद में भूमि उपयोग क्षमता का गत्यात्मक विश्लेषण

डॉ० राजकुमार सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग
नेशनल पी०जी० कॉलेज,
भोगाँव मैनपुरी, उ०प्र०
ईमेल: rajrau70@gmail.com

प्राप्ति: 13.02.2022
स्वीकृत: 15.03.2022

डॉ० संतोष कुमार सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग
किसान पी०जी० कॉलेज,
बहराइच

सारांश

प्राकृतिक रूप से प्राप्त संसाधनों में 'भूमि' एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि उपयोग भौगोलिक अध्ययन का एक प्रमुख पक्ष है। भूमि उपयोग के द्वारा संसार के अधिकांश लोगों के जीवन की दशा एवं दिशा निर्धारित होती है। भूमि उपयोग का प्रमुख उद्देश्य है कि न्यूनतम निवेश द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाए।

भूमि उपयोग किसी भी क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं का परिचायक होता है। किसी प्रदेश का भूमि उपयोग वहाँ की प्राकृतिक दशाओं, मनुष्य के बौद्धिक स्तर तथा आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। भूमि उपयोग समय के साथ-साथ परिवर्तित होता रहता है। भूमि संसाधन को धरातल की मौलिक दशाओं से प्राप्त साधनों एवं मानव कल्याण के लिए उसकी विशेषताओं के रूप में जाना जाता है।

प्रस्तावना

डॉ० डी०एस० चौहान (1966) के अनुसार "प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि उपयोग एक तत्कालिक प्रक्रिया है, जबकि मानवीय इच्छाओं के अनुरूप अपनाया गया भूमि उपयोग एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है।"

21वीं सदी के प्रारम्भिक काल में मानव की बढ़ती जनसंख्या एवं बदली हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैश्विक एवं स्थानीय स्तर पर भूमि संरक्षण के द्वारा अनुकूलतम एवं अधिकतम उपयोग पर जोर दिया जाता है।

भूमि उपयोग क्षमता का आकलन करके अनुचित एवं बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाकर तथा गहन एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धति को अपनाकर भविष्य में देश की जनसंख्या का भरण-पोषण किया जा सकता है। इस प्रकार वर्तमान समय में जनसंख्या एवं भूमि के बीच बढ़ते हुए असंतुलन को ध्यान में रखकर भूमि उपयोग का गहन सर्वेक्षण एवं अधिकतम उपयोग हेतु नियोजन की आवश्यकता है।

भूमि उपयोग क्षमता का अभिप्राय भूमि इकाई क्षेत्र की उत्पादन क्षमता से है। जब इस इकाई क्षेत्र में उत्पादन लागत की अपेक्षा शुद्ध लाभ अधिक होता है तो भूमि क्षमता उत्तम मानी जाती है। इसी शुद्ध लाभ के आधार पर भूमि उपयोग क्षमता का निर्धारण किया जाता है।

भूमि सक्षमता का वर्गीकरण भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं मिट्टी के गुणों और क्षेत्र प्रबन्धन पद्धतियों का वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। भूमि सक्षमता मानचित्र से किसी क्षेत्र की भूमि की कृषि क्षमता समस्याग्रस्त क्षेत्र जैव रासायनिक तकनीकों के प्रति उसकी अनुक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र देवीपाटन मण्डल के उत्तरी-पूर्वी हिस्से में स्थित एक जनपद है। इसका अक्षांशीय विस्तार 27°13' उत्तरी अक्षांश से 28°11' उत्तरी अक्षांश तथा देशान्तरीय विस्तार 81°14' से 81°49' पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल 4696.8 वर्ग किमी है। बहराइच जिले की सीमा उत्तर-पूर्व में नेपाल से सटी हुई है। पश्चिम में लखीमपुर और सीतापुर, दक्षिण-पश्चिम में बाराबंकी, दक्षिण-पूर्व में गोण्डा तथा पूर्व में श्रावस्ती जनपद स्थित है। बहराइच जनपद में 14 विकासखण्ड हैं। यहाँ 1395 गाँव हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या 3487731 है जिसमें 1843884 पुरुष तथा 1520217 महिला जनसंख्या है। बहराइच जनपद सघन आबादी वाला क्षेत्र है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. विकासखण्ड स्तर पर भूमि उपयोग सक्षमता का मानचित्रण करना।
2. भूमि उपयोग सक्षमता का जिले के कृषि विकास में आकलन करना।
3. विकास की रणनीतियों को विकासखण्ड स्तर पर लागू करना।

शोध विधि

इस शोध विधि में कई दृष्टिकोणों का उपयोग किया गया है जो इस प्रकार हैं—

1. प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से आंकड़ों का संग्रह
2. मात्रात्मक एवं गुणात्मक विधि का प्रयोग
3. कोटि गुणांक विधि का उपयोग

भूमि उपयोग क्षमता का निर्धारण


कई भूगोलवेत्ताओं ने कृषि भूमि उपयोग क्षमता को निर्धारित करने के लिए भूमि उपयोग क्षमता का निर्धारण किया है। बी०बी० सिंह (1971) ने 'कोटि गुणांक विधि' के आधार पर किया है। प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग क्षमता का निर्धारण करने के लिए कृषिगत क्षेत्र, दो फसली क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, अकृषि भूमि एवं बंजर भूमि के आंकड़ों को एकत्रित किया गया है। इन पाँच चरों के आधार पर कोटि गुणांक विधि द्वारा विभिन्न विकासखण्डों का सूचकांक निकाला गया है। अकृषि एवं बंजर भूमि के लिए न्यून गुणांक वाले विकासखण्ड को प्रथम कोटि तथा क्रमशः उससे अधिक गुणांक वाले विकासखण्ड को द्वितीय, तृतीय आदि कोटि दिया गया है।

तालिका-1

बहराइच जनपद में भूमि उपयोग क्षमता का विवरण

भूमि उपयोग	कोटि गुणांक	विकास खण्डों की संख्या			सम्पूर्ण विकासखण्ड का प्रतिशत		
		2000	2010	2020	2000	2010	2020
अति उच्च	10 से कम	2	3	4	14.28	21.43	28.58
उच्च	10-12	3	3	3	21.43	21.43	21.43
मध्यम	12-14	2	3	3	14.28	21.43	21.43
निम्न	14-16	3	2	2	21.43	14.28	14.28
अति निम्न	16-18	4	3	2	28.58	21.43	14.28
योग		14	14	14	100.00	100.00	100.00

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका 2000, 2010 एवं 2020



कृषित क्षेत्र, दो फसली क्षेत्र तथा सिंचित क्षेत्र में कोटि का निर्धारण अधिक प्रतिशत वाले विकासखण्ड को पहला तथा इससे कम प्रतिशत वाले विकासखण्ड को दूसरा, तीसरा एवं चौथा क्रमांक दिया गया है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र के सभी विकासखण्डों का कोटिक्रम निर्धारित करके कोटि गुणांक प्राप्त किया गया है। कम कोटि गुणांक वाला विकासखण्ड उच्चतम क्षमता को प्रदर्शित करता है, और अधिक कोटि गुणांक वाला विकासखण्ड न्यूनतम क्षमता को दर्शाता है। चित्र संख्या-1 एवं तालिका-1 में 2000, 2010 एवं 2020 में भूमि उपयोग क्षमता को प्रदर्शित किया गया है-

1. उच्चतम क्षमता

सारिणी से स्पष्ट है कि 2000, 2010 एवं 2020 में क्रमशः 2, 3 एवं 4 विकासखण्ड अति उच्च क्षमता को प्रदर्शित करते हैं जो सम्पूर्ण विकासखण्डों के 14.28, 21.43 एवं 28.58 प्रतिशत क्षेत्र पर विस्तृत हैं। 2000 से 2020 तक दो गुने विकासखण्ड में भूमि उपयोग क्षमता उच्चतम हो गई है। जहाँ सन् 2000 में उच्चतम क्षमता पयागपुर और विशेश्वरगंज विकासखण्डों में पायी जाती थी वहीं सन् 2010 में भी पयागपुर और विशेश्वरगंज में उच्चतम क्षमता पायी जाती थी जो सन् 2020 में बढ़कर 4 विकासखण्डों— पयागपुर, विशेश्वरगंज, कैसरगंज तथा चित्तौरा में उच्चतम क्षमता पायी जाती है।

2. उच्च क्षमता

भूमि उपयोग क्षमता का उच्च क्षमता का कोटि गुणांक 10–12 है। इस श्रेणी में सन् 2000 में रिसिया, तेजबापुर, सन् 2010 में रिसिया, तेजवापुर, हुजूरपुर एवं चित्तौरा तथा सन् 2020 में भी रिसिया, तेजबापुर, हुजूरपुर एवं चित्तौरा में उच्च क्षमता पायी जाती है। यहाँ प्राकृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारकों के फलस्वरूप उच्च भूमि क्षमता विकसित हुई है विभिन्न सुविधाओं के अनुकूल रहने के कारण भूमि में उच्च क्षमता बनी हुई है।

3. सामान्य क्षमता

जिन विकासखण्डों का कोटि गुणांक 12–14 तक है वे सभी सामान्य भूमि क्षमता के द्योतक हैं। अध्ययन क्षेत्र में 2000 में नबावगंज, चित्तौरा, 2010 में कैसरगंज, नबावगंज, फखरपुर तथा 2020 में बलहा, नबावगंज एवं फखरपुर विकासखण्ड मध्यम भूमि उपयोग क्षमता रखते हैं। भूमि उपयोग क्षमता को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों के अनुसार इन विकासखण्डों में सामान्य क्षमता का ही विकास हो पाया है।

4. निम्न क्षमता

इस भूमि उपयोग क्षमता के अन्तर्गत 14 से 16 कोटि गुणांक है। सन् 2000 में इस श्रेणी में कैसरगंज, फखरपुर एवं बलहा विकासखण्ड थे जो 2010 में बलहा, शिवपुर एवं 2020 में मिहीपुरवा एवं शिवपुर विकासखण्डों में निम्न भूमि उपयोग क्षमता पायी जाती है। मिहीपुरवा में जंगली भूमि की अधिकता तथा शिवपुर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण भूमि उपयोग क्षमता के निम्न श्रेणी में आते हैं।

5. अति निम्न क्षमता

भूमि उपयोग क्षमता के इस श्रेणी में 16 से अधिक कोटि गुणांक वाले विकासखण्ड सम्मिलित हैं। अध्ययन क्षेत्र में सन् 2000 में चार विकासखण्ड— मिहिपुरवा, शिवपुर, महसी, जरवल इस श्रेणी में सम्मिलित थे। 2010 में तीन— जरवल एवं मिहीपुरवा तथा 2020 में इस श्रेणी में महसी तथा जरवल विकासखण्ड भूमि उपयोग क्षमता के अति निम्न श्रेणी में आते हैं। इन दोनों विकासखण्डों में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रफल की अधिकता के कारण भूमि उपयोग क्षमता का स्तर अति निम्न है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त संश्लेषण एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग क्षमता में उतार-चढ़ाव के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। सारिणी एवं चित्र के अवलोकन से यह बात और अधिक प्रमाणित हो जाती है। अध्ययन क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में भूमि उपयोग क्षमता के उच्चतम स्कोर को प्राप्त कर लिया गया है। किन्तु अभी भी लगभग 71 प्रतिशत ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक, आर्थिक

एवं सामाजिक तत्वों में अत्यधिक विषमता है। कृषि योग्य भूमि एवं सिंचाई सुविधाओं तथा दो फसली क्षेत्रफल में बढ़ोत्तरी हुई है फिर भी जिले का अभी भी कम विकास हुआ है। अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग क्षमता को और बढ़ाने के लिए अग्रलिखित सुझाव बताया जा रहा है—

(1) अध्ययन क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा भीषण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जिससे यहाँ केवल एक फसल की ही खेती हो पाती है। बाढ़ नियंत्रण भूमि उपयोग क्षमता को बढ़ाने का महत्वपूर्ण उपाय है।

(2) यहाँ भूमिगत जल अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसके समुचित उपयोग से सिंचित क्षेत्रफल को बढ़ाकर भूमि उपयोग क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

(3) फसलों के उत्पादन का चक्रानुक्रम प्रणाली अपनाकर उत्पादन को बढ़ाने से भूमि उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है।

(4) अध्ययन क्षेत्र में छोटे एवं मध्यम कृषकों की अधिकता है। परिवारों की बढ़ती हुई संख्या के कारण दिन-प्रतिदिन जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है। सरकारी नीतियों जैसे चकबन्दी कार्यक्रम को बढ़ावा देकर भूमि उपयोग क्षमता में वृद्धि किया जा सकता है।

(5) उन्नतशील बीजों, खादों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ाकर भूमि उपयोग क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

सन्दर्भ

1. तिवारी, आर.सी. (2006). कृषि भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
2. सिंह, बृजभूषण. (1979). कृषि भूगोल, तारा पब्लिकेशन, वाराणसी।
3. तिवारी, पी.डी. (1988). एग्रीकल्चरल डेवलपमेन्ट एण्ड न्यूट्रीशन – ए केस स्टडी ऑफ रीवा प्लेट, नॉर्दन बुक सेन्टर, नई दिल्ली।
4. माजिद, हुसैन. (2018). कृषि भूगोल।
5. (2000, 2010, एवं 2020). बहराइच जनपद की सांख्यिकी पत्रिका।
6. इन्टरनेट।